BIHAR STATE HOUSING BOARD
बिहार राज्य आवास बोर्ड

6, सरदार पटेल मार्ग, पटना– 8000015

दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती के संबंध में।

महत्वपूर्ण सूचना

1. दीघा की अधिग्रहित 1024.52 एकड़ जमीन पर दीघा आशियाना सड़क के पूर्व 600 एकड़ जमीन में बने एवं पूर्व के अवैध निर्माण को नियमित करने और पश्चिमी क्षेत्र के 400 एकड़ भू– भाग समेत सम्पूर्ण अर्जित क्षेत्र की खाली जमीन के विकास के लिए दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती अधिनियम 2010 के तहत दीघा स्कीम सरकार द्वारा स्वीकृत है। दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुरूप अप्राधिकृत अधिभोगियों को बन्दोबस्ती हेतु एवं भू–धारियों/अंतरितियों के अनुग्रह राशि के भुगतान देने हेतु पूर्व में आवेदन प्रपत्र लिए गए है जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक–30.03.2015 को समाप्त हो गई थी। 60–60 दिनों की तीन अवधि में आवेदन आवास बोर्ड में जमा हुए हैं। आवेदन पत्रों की जाँच और भौतिक सत्यापन के बाद अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

2. अप्राधिकृत अधिभोगियों की बन्दोबस्ती एवं भू–धारियों एवं उनके अंतरितियों को अनुग्रह राशि का भुगतान दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती अधिनियम 2010 तथा इसके अंतर्गत बने Rule तथा Scheme के अनुसार किया जाना है, जिसके अनुसार बंदोबस्ती के पश्चात लीज डीड (Perpetituty) निरंतरता के आधार पर किया जाएगा। दीघा आशियाना रोड के पूरब भाग में अवस्थित सेक्टर– 3, 4, 6, 7, 9, 11 एवं 12 में अवस्थित लगभग 600 एकड़ भूमि के अप्राधिकृत अधिभोगियों को भूमि की बन्दोबस्ती की जानी है।

3. दीघा अर्जित भूमि से संबंधित भू–स्वामियों, अंतरितियों, मकान/व्यवसायिक भवन आदि बनाकर रह रहे लोगो और अन्य सभी पक्षों को पुनः स्मारित किया जाता है कि दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती अधिनियम 2010 विगत 27 नवम्बर, 2013 से प्रवृत्त है। दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती स्कीम 2014 के कार्यान्वयन के लिए 27 नवम्बर, 2013 कट ऑफ डेट के रूप में मान्य है। उस तिथि के बाद जमीन की खरीद–बिक्री दीघा अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है। कट ऑफ डेट 27 नवम्बर, 2013 के बाद खरीदी गई जमीन के बदले अनुग्रह भुगतान या किसी भी तरह का कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा। कट ऑफ डेट के बाद बने मकानों को नियमित अथवा बन्दोबस्ती नहीं किया जाएगा।

4. दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती स्कीम 2014 के बाद प्रपत्र A एवं प्रपत्र B के लिए जमा करने के लिए अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा लागातार अनुरोध किया जा रहा था। तदालोक में एक बार पुनः एक अवसर के तहत भूमि बन्दोबस्ती हेतु प्रपत्र A एवं अनुग्रह राशि का भुगतान के प्रपत्र B के समर्पित करने की तिथि सरकार से अनुमोदनोंपरान्त 31.05.2018 तक निर्धारित की गयी थी, जिसे दिनांक– 31.07.18 तक पुनः विस्तारित किया गया है।

5. अतः दीघा अधिनियम भूमि बन्दोबस्ती अधिनियम 2010 के अन्तर्गत आने वाले सभी अनाधिकृत अधिभोगियों तथा भू–स्वामियों तथा अंतरितियों को सूचित किया जाता है कि, **(क)** संबंधित निर्माण सहित भूमि की बन्दोबस्ती हेतु हेतु प्रपत्र A तथा **(ख)** अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु प्रपत्र B तिथि 31.07.2018 तक के 5:00 बजे अपराह्न तक बोर्ड के **"समाधान केन्द्र"** में स्वीकार किये जायेंगे। **प्रपत्र A तथा प्रपत्र B सहित विवरणी पुस्तिका बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा, पटना से आवेदन शुल्क नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। साथ हीं प्रपत्र A तथा प्रपत्र B सहित विवरणी पुस्तिका सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेहता मार्केट, राजीव नगर, पटना–24 से आवेदन शुल्क नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।** आवेदन शुल्क रू0 500/–(पाँच सौ रूपये) मात्र निर्धारित है।

6. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आवेदन शुल्क बोर्ड की वेबसाईट **www.bshb.in** से ऑन लाईन भुगतान करके भी आवेदन पुस्तिका Download कर सकते हैं। किन्तु विहित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र वांछित अनुलग्नकों के साथ केवल बोर्ड मुख्यालय स्थित **"समाधान केन्द्र"** के **Counter** पर जमा करना अनिवार्य होगा।

7. ऑन लाईन भुगतान हेतु आवेदक बोर्ड की वेबसाईट पर जाकर **"दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती"** लिंक पर क्लीक कर वांछित जानकारियाँ भरते हुए ऑन लाईन भुगतान कर आवेदन पुस्तिका की प्रति अपने घर के पते पर भी मगवा सकते हैं। किन्तु इस आशय हेतु आवेदक को 200/–रूपये प्रति पुस्तिका डाक खर्च के मद में ऑन लाईन माध्यम से अतिरिक्त देना होगा।

8. आवेदन प्राप्त करने एवं जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक–31.07.2018 निर्धारित की गयी है। किसी भी माध्यम से भुगतान किया गया आवेदन शुल्क **Non-Refundable** होगा।

9. सभी आवेदन पत्र विहित प्रारूप में भरे हुए वांछित अनुलग्नकों के साथ बोर्ड मुख्यालय स्थित **"समाधान केन्द्र"** के **Counter** पर जमा किया जायेगा। किसी अन्य सुविधा हेतु आवेदक किसी कार्य दिवस को बोर्ड के **"समाधान केन्द्र"** में सम्पर्क कर सकते हैं। **(दूरभाष संख्या–0612– 2217618/17)**

यदि उपरोक्त तिथि एवं समय के अन्दर किसी अप्राधिकृत अधिभोगी के द्वारा प्रपत्र A तथा किसी भू–धारी/अंतरिती के द्वारा प्रपत्र B जमा नही किया जाता है, तो दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती अधिनियम 2010 के प्रावधानो के अनुरूप उनकी बन्दोबस्ती/अनुग्रह रकम के लिए उनका कोई दावा समाप्त हो जायेगा एवं उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतगर्त अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखल किया जा सकेगा तथा बेदखल किये जाने के स्थिति में सभी संरचना बोर्ड में निहित हो जायेगा। आम जनता से अनुरोध है कि दीघा एक्ट के संबंध में किसी तरह के भ्रामक एवं झूठे प्रचार के बहकावे में नहीं आएँ एवं दीघा एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन करें। दीघा एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अनुग्रह लाभ प्राप्त करने हेतु/बन्दोबस्ती हेतु, वैद्य कागजातों के साथ निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन दाखिल करें।

5.6.18

प्रबंध निदेशक
बिहार राज्य आवास बोर्ड।